प्रेषक,

[illegible] वर्मा,
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
प्रतापगढ़।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
प्रयागराज।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।

विषयः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 सपठित शासनादेश सं0-20/2024/सा-3-76/दस/2024/301 (1)/2024, दिनांक 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प निर्धारण प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण।

आदरणीय महोदय,

1- विषय उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं0-14 /2024/सा-3-243 /दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून 2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ के माध्यम से राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28-03-2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आच्छादित किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था दी गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2024 के शासनादेश सं0-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 के माध्यम से विकल्प पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

2- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं0-9283/VIIb-104/Admin D सेक्शन, दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं0 9691/IV-F-82 (PENSION)/Admin(1) दिनांक 16.07.2024 के द्वारा भी उपर्युक्त प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को

हार्ड कॉपी में एवं संबंधित अधिकारी के ई-सर्विसेज पर उपलब्ध ई-पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी में निर्धा समयावधि के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

3- यह अवगत कराना समीचीन है कि अधोहस्ताक्षरी न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच के न्यायिक अधिकारी है एवं उसकी नियुक्ति उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं०-ए-2 ई-1/2003, दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 में उल्लिखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। अधोहस्ताक्ष की पेंशन कटौती अब तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत (PRAN ID) सं0- 110032127876 पर की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में विज्ञप्ति तिथि 22 नवम्बर, 2003 के आधार पर चयनित हुई है एवं उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 16.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि 15.06.2006 थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उ०प्र० राज्य के उपरोक्त शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने की पात्रता रखती है।

अतः ससम्मान निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के प्रकाश में प्रार्थिनी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न है एवं माननीय महोदय से अनुरोध है कि मेरी पुरानी पेंशन योजना से संबंधित विकल्प पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं संबंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।

ससम्मान!

दिनांक 29.07.2024

भवदीया,

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE
PRATAPGARH
No. 1537 DATE 29.07.24
FORWARDED
29.7.24.
DISTRICT JUDGE
PRATAPGARH

(पारुल वर्मा),
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
प्रतापगढ़।
I.D. No. – UP...

संलग्नक:-

1. निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र (मूल रूप में)।
2. अधोहस्ताक्षरी के चयन के संबंध में उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन, दिनांकित 22-11-2003 की छायाप्रति।

शासनादेश संख्या- 20/2024 / सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024,

दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम - पारूल वर्मा
2. वर्तमान पदनाम - विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), प्रतापगढ़
3. वेतनमान - 144840-194660(Level-J5), Basic Pay in July 2024 - 167920/-
4. वर्तमान विभाग का नाम - माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि - 22-11-2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 16-05-2006
8. योगदान की तिथि - 15-06-2006
9. जन्म तिथि - 01-11-1976
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31-10-2036

मैं **पारूल वर्मा** पत्नी **श्री अजय कुमार** शासनादेश संख्या- 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024/ 301 (1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** (√) नई पेंशन योजना (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर- Verma 29.07.24

नाम- पारूल वर्मा

पदनाम-विशेषन्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), प्रतापगढ़।

I.D. No- UP6355

घोषणा-पत्र

मैं **पारूल वर्मा** पदनाम-**विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), प्रतापगढ**, उ०प्र० शासन यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर- Verma 29.07.24

नाम- पारूल वर्मा

पदनाम-विशेषन्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), प्रतापगढ़।

I.D. No. - UP6355

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमती **पारुल वर्मा** पदनाम **विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट), प्रतापगढ़** को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** (√) नई पेंशन योजना (x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन सं० ए-2/ई-1/20[illegible]

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003**

आवश्यक सूचना

1. यह विज्ञापन उ. प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में अंकित सूची में दिए गए डाकघरों से क्रय कर सकते हैं। जी.पी.ओ. लिमिटेड के आवेदन पत्र (सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रू. 150/- तथा जी.पी.ओ. लिमिटेड (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रू. 90/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा भविष्य में पत्राचार में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगी।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

2. रिक्तियाँ :- रिक्तियों की कुल संख्या-347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ आरक्षित हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/1995 टी.सी.-1/[illegible], दिनांक 25.9.97 में दिए निर्देशानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के विकलांगों को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जब भी एवं जहां आयोग द्वारा अपेक्षा की जाय तब उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही [illegible] अनुमन्य होगा। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ (1) विशेष अनुज्ञा याचिका सं. - 15108/2001 अनुज्ञा याचिका बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 628/2001 कु. [illegible] बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (4) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-13424/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह एवं (5) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18/2001 कु. [illegible] बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन होंगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

3. वेतनमान :- 9000-250-10750-300-13150-350-14850

4. शैक्षिक अर्हता :- भारत, उ.प्र. की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है, अथवा (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत [illegible] बैरिस्टर या स्कॉटलैण्ड में अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य और वह न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में वकालत करने का हकदार होना आवश्यक है। (ग) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

5. आयु सीमा :- अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2004 को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई, 1969 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1982 के बाद का नहीं होना चाहिए, परन्तु उ.प्र. के अनुसूचित जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति एवं उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक मानी। उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003 के प्राविधान के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जुलाई, 2002 को आयु सीमा[illegible] थे वे भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को अवसर प्राप्त की अनुमति की संख्या अधिकतम चार होगी। अवसर की गणना इस प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने से की जायेगी।

शासनादेश सं. 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 20 जनवरी 1986 के प्राविधानों के अनुसार सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को आगणित मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अन्तिम तिथि से छ: माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों। परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी- (1) जो कदाचार अथवा अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हों, (2) जो सेना की सेवा में अवमुक्त समझी जायें, शारीरिक अयोग्यता अथवा अक्षमता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या - 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त खिलाड़ियों के चुनाव (नियुक्ति) के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं।

6. शुल्क :- आवेदन पत्रों के विक्रय से प्राप्त धन एवं परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्र का मूल्य एवं शुल्क सहित = रू. 150 (रू. 100 + 20 + 30) एक साथ लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क हेतु अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट अथवा ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना होगा। आवेदन पत्रों का मूल्य सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु रू. 150/- होगा तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू. 90/- (रू. 40 + 20 + 30) होगा। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे। उ.प्र. के बाहर के सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का ही आवेदन करें। अनारक्षित श्रेणी का आवेदन पत्र भरने पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों के क्रय किए जाने के पश्चात उसका मूल्य किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। केवल ओ.एम.आर. आवेदन पत्र मूल रूप में स्वीकार्य होंगे, परन्तु उसका मूल्य वापस नहीं होगा।

7. आवेदन कैसे करें :- आयोग द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका सहित नीचे दी गयी सूची में उल्लिखित डाकघरों से मूल्य देकर प्राप्त किए जा सकते हैं तथा अभ्यर्थी उन्हें उक्त डाकघरों के काउन्टर से नकद क्रय कर सकते हैं। आवेदन पत्र का मूल्य जी.पी.ओ. लिमिटेड (सामान्य, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग, उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु) रू. 150/- है तथा जी.पी.ओ. लिमिटेड (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति) हेतु रू. 90/- है। आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देश [illegible] आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र सचिव, विज्ञापन संख्या - ए-2/ई-1/2003 लोक सेवा आयोग, उ.प्र., इलाहाबाद-211 018 को दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को सायं 5.00 बजे तक, [illegible] डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। उसके लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः सभी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि का ध्यान रखें।

8. डाकघरों की सूची :- आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 001), इलाहाबाद (एच.ओ.) (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद (यूनिवर्सिटी) कटरा (211 002), इलाहाबाद (सिविल लाइन्स) 211 001, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर (अकबरपुर) 224 122, औरैया-206 122, आजमगढ़-276 001, बदायूँ-243 601, बागपत-250 609, बहराइच-271 801, बाराबंकी-225 001, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बरेली-243 001, बस्ती-272 001, बलरामपुर-271 201, बिजनौर-246 701, बुलन्दशहर-203 001, चन्दौली-232 104, चित्रकूट (कर्वी) 210 205, देवरिया-274 001, एटा-207 001, इटावा-206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 601, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-204 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झाँसी-284 001, ज्योतिबाफुलेनगर (अमरोहा) 244 221, कन्नौज-209 725, कानपुर जी.पी.ओ.-208 001, कानपुर देहात (अकबरपुर) 209 101, कौशाम्बी (मंझनपुर)-212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महराजगंज-273 303, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, शाहजहाँपुर-242 001, सहारनपुर-247 001, श्रावस्ती (भिनगा), संत कबीर नगर (खलीलाबाद), संत रविदास नगर (भदोही), सिद्धार्थनगर, सीतापुर-261 001, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.ओ. - 221 001, वाराणसी कैन्ट 221 002

9. महत्त्वपूर्ण निर्देश :-

(1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। ऐसा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त होने के हकदार होंगे तथा उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति सूचित करेगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 15 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद [illegible] के रूप में दी जायेगी। प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(4) प्रथम अभ्यर्थी भारतीय/नेपाल/तिब्बत नागरिक अथवा ऐसा व्यक्ति जो स्थायी रूप से भारत में बसने के उद्देश्य से आया हो, [illegible] ऐसे अभ्यर्थी को ही इस परीक्षा के लिए पात्रता प्रमाण पत्र [illegible] सं. 2/85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकता है।

(i) आवेदक को सेवा, योग्यता, प्रतिभूति के साथ सर्टिफिकेट का प्रमाण सम्बन्ध में प्रकार का प्रमाण करना होगा कि उसकी सेवा प्रकृति दुर्व्यवहार के लिए बढ़ाई गई है तथा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ii) आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ यह घोषित अथवा प्रमाणित करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपनी वर्तमान सेवा से तुरन्त त्यागपत्र दे देंगे। [illegible] सेवा के कर्मचारी एवं अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। (iii) उसे सेना से सामान्य स्थायी रूप से [illegible] गया है। (iv) यह सामान्य तौर पर सैन्य सेवा से अवमुक्त हुआ है तथा वह सैन्य सेवा से स्वतन्त्र के कारण अवमुक्त हुए हैं।

(5) चरित्र - सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह राज्यपाल की राय में सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। अतः सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत या भारतीय या किसी राज्य द्वारा स्थापित परिषद द्वारा अधिवक्ता के रूप में अवसाय से निरुद्धित किया गया या नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध और दण्डादेश पर [illegible] कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) वैवाहिक प्रास्थिति - सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(7) शारीरिक स्वस्थता - किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षा कराये।

(8) केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के लिए आवेदन करने के अर्ह होंगे, जो प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा उसके लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा भेजे गए निर्धारित आवेदन पत्रादि भरने होंगे तथा मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा करना होगा।

(9) साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

(10) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनके पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में अंकित [illegible] का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अपेक्षाकृत, अपूर्णता तथा प्रमाणों आदि की अथवा किसी प्रविष्टि आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किए गए उनके आवेदन पत्रों के मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(12) आयोग आवेदन पत्रों की सामान्य जाँच कर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकता है, किन्तु यदि वह किसी भी स्तर पर यह पाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं है अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा वह प्रारम्भ में ही प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अर्हता निर्धारण का विषय आयोग द्वारा किया जायेगा तथा प्रवेश पत्र दिए जाने से भी यह नहीं माना जायेगा कि अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से अर्ह मान लिया गया है।

(13) [illegible] परीक्षा भवन में नकल करने, अनुचित साधन अपनाने, दुर्व्यवहार करने अथवा अपने अभ्यर्थन के समर्थन में आयोग पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयास करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा अनर्ह घोषित किया जा सकता है।

(14) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(15) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तुरन्त आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग के सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1	आगरा	2	इलाहाबाद
3	बरेली	4	गोरखपुर
5	झाँसी	6	लखनऊ
7	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न-पत्र — 2 घंटे — अंक-150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में समर्थ होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय — 2 घंटे — अंक-300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विधिक क्षेत्र में घटित घटनाओं [illegible] प्रतिबिम्बित करने वाले प्रश्न, सांविधिक एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) विधि शास्त्र
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(iii) अधुनातन अन्तर्राष्ट्रीय मामले
(iv) भारतीय संविधान
(v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(vii) भारतीय दण्ड संहिता
(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता
(ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(x) संविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे

प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में समर्थ होगा।

प्रश्न पत्र संख्या - 2 भाषा :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसके नीचे निर्दिष्ट प्रकार के चार प्रश्न सम्मिलित होंगे :

(1)	अंग्रेजी में निबन्ध एक विषय	[illegible]
(2)	अंग्रेजी में सार लेखन	60 अंक
(3)	हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद	60 अंक
(4)	अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद	40 अंक
		40 अंक

प्रश्न पत्र संख्या - 3 विधि-1

(मौलिक विधि) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे।

संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाधिकार अधिकार और अपकृत्य सम्बन्धी विधि सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित विधि जिसमें निक्षेपकर्ता एवं न्यास के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का सिद्धान्त के विशेष संदर्भ से सांस्थान के सिद्धान्त, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या - 4 विधि-2

(प्रक्रिया एवं साक्ष्य) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे।

साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि अभिवचन, आरोप और वाद बिन्दुओं की विरचना, तथ्य के साक्ष्य के साथ न्याय की विवेचना, निर्णय का लेखन और [illegible] किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या - 5 विधि-3

(दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे।

भारतीय दण्ड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, नगर पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 एवं अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ।

स्थानीय विधियों के प्रश्न 50 अंकों के होंगे। दाण्डिक विधियों के प्रश्न [illegible] 50 अंकों के होंगे। राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

संख्या : 6 साक्षात्कार :

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी योग्यता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक स्वस्थता पर समुचित ध्यान देते हुए उसके सेवाभिलेख के संदर्भ में किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

टिप्पणी :- (1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

(2) आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने लिखित प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किए हों जो उसके द्वारा नियत किये गये [illegible] अवधारित करें।